



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०
तृतीय तल, शक्ति भवन विस्तार,
14-अशोक मार्ग, लखनऊ।

दूरभाष : 0522-2288656

cehydelpl@gmail.com

फैक्स :

0522-2288655

संख्या : 1380/अनु०-2/सी०ई०एच०/प्रोन्नति/2023

दिनांक : 07/07/2023

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल एण्ड मैकेनिकल) रेग्युलेशन 1972 यथा संशोधित में निहित प्राविधानों के अनुसार उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० व उसके सहयोगी वितरण निगमों/केस्को/कारपोरेट तथा उ०प्र० पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन लि० के अधीन अवर अभियन्ता (विद्युत एवं यांत्रिक) (सामान्य श्रेणी) के रिक्त पदों के विरुद्ध इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या-1093-अ-7/मु०अ०(हा०)/चयनित/2022-23, दिनांक 27.06.2023 के द्वारा पूर्व में निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या-541-अ-07/मु०अ०(हा०)/प्रतिबन्धाधीन-चयनित/2023, दिनांक 23.03.2023 के द्वारा 8.33% कोटे के अन्तर्गत टी०जी०-2 से अवर अभियन्ता (सामान्य श्रेणी) के पद पर प्रतिबन्धाधीन चयनित कर्मिकों के वॉछित अभिलेख प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप कर्मिकों के चयन पर लगाये गये प्रतिबन्ध समाप्त होने के फलस्वरूप एवं कारपोरेशन के आदेश संख्या-1021-विनियम एवं काविनी-29/पाकालि/2021-68-विनियम-15, दिनांक 09.11.2021 के अनुपालन में प्रोन्नति हेतु चयन, कारपोरेशन द्वारा गठित विभागीय चयन समिति के द्वारा चयनित कर्मिकों की वॉछित सूचना/अभिलेख उपलब्ध हो जाने के उपरान्त इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या-1094-अ-07/मु०अ०(हा०)/चयनित/2022-23, दिनांक 27.06.2023 के द्वारा 8.33% कोटे के अन्तर्गत टी०जी०-2 से अवर अभियन्ता (सामान्य श्रेणी) के पद पर चयन घोषित होने के फलस्वरूप नितल सारणी में अंकित निम्नांकित चयनित तकनीशियन कर्मिकों को एतद्वारा उ०प्र० पा०का०लि० व उसके सहयोगी वितरण निगम एवं उ०प्र० पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन लि० के अधीन कार्यभार ग्रहण की तिथि से दिनांक 01.01.2016 से लागू सप्तम् वेतन आयोग के अन्तर्गत अवर अभियन्ता का प्रविष्टि वेतन/न्यूनतम वेतन मैट्रिक्स लेवल-07 (44900-142400) पर स्थानापन्न एवं अस्थाई अवर अभियन्ता (सामान्य श्रेणी) के पद पर चयन द्वारा प्रोन्नत किया जाता है तथा उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-8 में अंकित निगमों/इकाईयों में अग्रेतर तैनाती हेतु इस प्रतिबन्ध के साथ आवंटित किया जाता है कि इन अवर अभियन्ताओं को उनके वर्तमान तैनाती स्थल एवं गृह जनपद में तैनात न किया जाये।

(ख) 8.33 प्रतिशत प्रोन्नति कोटे के अन्तर्गत चयन द्वारा प्रोन्नत कर्मिकों का विवरण

Sl. No.	SAP ID No.	Seniority Number	Name Sri.....	Father's Name Sri.....	Home District	Date of Birth	Discom	Discom Alotment
1		2	3	4	5	6	7	8
1	17401196	CEHC-4698	SATISH KUMAR JAISWAL	SUKHDEV PRASAD JAISWAL	Gonda	01-07-1985	TRANSCO	DVVNL, Agra
2	17401143	CEHC-4885	YOGENDRA PAL	DHARAM PAL SINGH	Bareilly	20-09-1983	TRANSCO	DVVNL, Agra
3	17401138	CEHC-5020	JAVED AHMAD	IMTIYAZ AHMAD KHAN	Bareilly	04-07-1978	TRANSCO	DVVNL, Agra
4	17402313	CEHC-5932	BRIJESH	SITARAM	Shahjahan pur	10-02-1982	TRANSCO	PuVVNL, Varanasi

(2)

5	17401086	CEHC-5452	AJEET KUMAR ASTHANA	SURRNDRA KUMAR ASTHANA	Lucknow	12-01-1981	TRANSCO	PuVVNL, Varanasi
6	17701759	CEHC-7899	KAMAL KUMAR	VINOD KUMAR	Saharan pur	21-05-1990	PVVNL MEERUT	PuVVNL, Varanasi

उपर्युक्त कार्मिक की चयन द्वारा प्रोन्नति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन की जाती है:-

- उक्त कार्मिक को अवर अभियन्ता (सा0श्रे0) के पद पर चयन द्वारा प्रोन्नति के पश्चात नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु, कार्यमुक्त करने से पूर्व उनके वर्तमान नियंत्रक अधिकारी निम्नांकित को सुनिश्चित करेंगे तथा इन तथ्यों का अलग-अलग प्रमाण पत्र (दो प्रतियों में) जारी करेंगे जिससे सम्बन्धित कार्मिक कार्यभार ग्रहण कराने वाले अधिकारी को अपनी योगदान आख्या के साथ प्रस्तुत कर सके :-
 - कार्मिक की कार्यमुक्ति के तिथि तक कारपोरेशन/निगम में की गयी सेवाओं में निरन्तरता थी, सम्बन्धी प्रमाण पत्र।
 - कार्मिक के विरुद्ध कोई भी विभागीय अग्रिम, संयंत्र, भण्डार सामग्री अवशेष नहीं है, सम्बन्धी प्रमाण पत्र।
 - कार्मिक के विरुद्ध कोई भी अनुशासनिक/न्यायिक कार्यवाही सम्बन्धी प्रकरण न चल रहा हो, सम्बन्धी प्रमाण पत्र।
 - उपर्युक्त सूची में अंकित कार्मिक के विरुद्ध यदि कोई प्रकीर्ण धनराशि/प्रत्याप्ति है तो कार्मिक को कार्यमुक्त करने से पूर्व विविध प्रकीर्ण धनराशि/प्रत्याप्ति की नियमानुसार कटौती प्रारम्भ कर दी गई है एवं उसका अंकन उसकी सेवा पुस्तिका में कर दिया गया है, सम्बन्धी प्रमाण पत्र।
- इन कार्मिक की पारस्परिक वरिष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।
- कार्मिक की चयन द्वारा यह प्रोन्नति पूर्णरूप से अस्थायी है, जो किसी भी समय बिना कारण बताये अथवा बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
- सम्बन्धित डिस्काम/केस्को/ट्रांस्को के प्रबन्ध निदेशक उपरोक्त आवंटित कार्मिक की तैनाती अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे। चयनित/प्रोन्नत समस्त कार्मिक, आदेश निर्गत होने के एक माह में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- चयनित/प्रोन्नत कार्मिक के नाम, पिता का नाम, गृह जनपद, जन्म तिथि एवं वर्तमान तैनाती इकाई इत्यादि में यदि टंकण की त्रुटि के कारण कोई भिन्नता परिलक्षित होती है, तो उन विवरणों को सम्बन्धित कार्मिक के सेवा पुस्तिका में अंकित प्रविष्टि के अनुसार संशोधन योग्य होगी।
- नव-तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण/योगदान आख्या लेने से पूर्व अधीक्षण अभियन्ता अधोलिखित सूचना/प्रमाण-पत्र प्रत्येक अभ्यर्थी से दो प्रतियों में प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे जिसकी एक प्रति अपने कार्यालय में तथा एक प्रति मुख्य अभियन्ता (हा0), उ0प्र0 पाकालि, लखनऊ को रिकार्ड के लिए प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता अपने स्तर पर कार्मिक का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, गृह जनपद, शैक्षिक/तकनीकी योग्यता इत्यादि की पुष्टि/सत्यापन कार्मिक के सेवा पुस्तिका में अंकित प्रविष्टियों एवं इनसे सम्बन्धित प्रमाण पत्रों से करेंगे तथा भिन्नता की स्थिति में कार्मिक से शपथ पत्र आदि लेकर अग्रेतर कार्यवाही करेंगे तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करायेगें।

(3)

(ख) प्रोन्नति कार्मिक अपनी योगदान आख्या के साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्र/घोषणापत्र नव तैनाती स्थल/कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।

1. कारपोरेशन/डिस्काम/केस्को/ट्रांस्को की सेवाओं में कार्यरत होने सम्बन्धी घोषणा।
2. समस्त चल/अचल सम्पत्ति की घोषणा।
3. विभागीय/अन्य स्रोतों से लिए गये ऋण की घोषणा।
4. कारपोरेशन/डिस्काम/केस्को/ट्रांस्को के प्रति निष्ठावान होने की घोषणा।
5. इन कार्मिकों के वर्तमान नियंत्रक अधिकारी के द्वारा जारी बिन्दु संख्या 1 पर अंकित विभिन्न मदों का प्रमाण पत्र।
6. कार्मिक को अपनी योगदान आख्या पर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना होगा जिसकी एक प्रति डिस्काम/केस्को/ट्रांस्को के माध्यम से मुख्य अभियन्ता (हा0) के कार्यालय को प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
7. प्रकरण में शेष रिक्त पदों के विरुद्ध अलग से आदेश निर्गत किये जायेंगे, जिन पर विभागीय कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
8. उक्त चयनित अभ्यर्थियों के विरुद्ध भविष्य में उनकी शैक्षिक/तकनीकी योग्यता एवं अनुभव नियमानुसार नहीं पायी जाती है, तो उनकी प्रोन्नति निरस्त कर दी जायेगी।

(नोट:- उपरोक्त कार्मिक को तय समय-सीमा के अन्दर कार्यमुक्त किया जाना अनिवार्य है अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी को ही जिम्मेदार माना जायेगा।)

मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

संख्या : 1380/ अ-2/तददिनांक 07-07-2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/दक्षिणोंचल/पश्चिमोंचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/आगरा/मेरठ को इस आशय से प्रेषित है कि सम्बन्धित अवर अभियन्ता (सा0श्रे0) की योगदान आख्या से इस कार्यालय को भी अवगत करवाने का कष्ट करें।
5. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. निदेशक (का0प्र0), उ0प्र0 पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. महानिदेशक, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, सरोजनी नगर, लखनऊ।
8. निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, सरोजनी नगर, लखनऊ।
9. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त सूचना को कारपोरेशन लि0, की वेबसाइट पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।
10. व्यक्तिगत पत्रावली/गार्ड फाइल/कट फाइल।

10/7

07-07-2023

(हेमन्त कुमार गुप्ता)

वैयक्तिक सहायक(षष्ठम)

कृते मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)